(2)

मु.नं.–51 / 2020

GCMS ID-2020/00094

ता.रजु–30.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

पुनीत पाठक, निवासी–ब्रह्मपुरी कॉलोनी, चंगी नाका 05 के पास, बयाना रोड, हिण्डौन सिटी जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी जिला करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–23.11.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 एवं गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण कानून–व्यवस्था में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 27.10.2020, 03.11.2020, 09.11.2020, 18.11.2020 व 23.11.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर सूचना सहायक प्रमोद गुप्ता के हिण्डौन में कार्यरत अवधि, उनके द्वारा अब तक जारी बाल आधार किट, नामांकन सकुर्लर, ट्रेनिंग, बाल नामांकन किट के आधार पर हुए नामांकन, ई–मित्र केन्द्रों का निरीक्षण, पाई गई अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही, उनकी सैलरी रिपोर्ट, नियुक्ति के समय लगाये गये दस्तावेज, उपस्थिति पंजिका, उनके सी.एल.,पी.एल., अवकाश, टी.ए., डी.ए. आदि की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 4581 दिनांक 20.10.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उनके कार्यालय से नहीं होने के कारण उनके द्वारा पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 4679 दिनांक 19.10.2020 द्वारा एसीपी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, करौली को अंतरित कर दिया था।
7. एसीपी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, करौली ने पत्रांक–F.8(1)(14)Gen./DOITC-KRL/2016/1152 दिनांक–06.11.2020 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
8. इस प्रकार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना पर अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने, अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं आने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। इसके अतिरिक्त एसीपी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील दायर कर सकता है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली